न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी भूपालसागर (चित्तौड़गढ़)

राजस्व प्रार्थना। पीठासीन अधिकारी श्री सुखाराम पिण्डेल (RAS)

राजस्व प्रार्थना-पत्र संख्या :- 07/2020

दायर दिनांक :- 19.10.2020

निर्णय दिनांक :- 23.03.2021

प्रार्थी बनाम अप्रार्थी

1. संजय कुमार पिता जमनालाल जाति-ब्राह्मण, निवासी-आकोला तहसील-भूपालसागर (चित्तौड़गढ़)

1. भूमिधारी अधिकारी जरिये तहसीलदार भूपालसागर

प्रार्थना-पत्र अंतर्गत धारा-136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

* निर्णय *

वकील प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना-पत्र अंतर्गत धारा-136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 का पेश किया जिसके संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है :-

(1) यह है कि प्रार्थी के संयुक्त खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजियात मौजा आकोला तहसील भूपालसागर के हल्के बैंकनी में स्थित है जिसके खाता संख्या 387 मे अंकित आ० न० 5008 रकबा 0.09 हैक्टर है जिसके साबिक आ० न० 2835 रकबा 0-08 बीघा थे जो वर्तमान मे आ०न० 5008 रकबा 0.09 हैक्टर बने और इसी अनुसार साबिक नक्शा संवत 2012 के अनुसार दर्ज है लेकिन वर्तमान हाल नक्शा साबिक के मुकाबले कम कर दिया जिसके कारण मौके पर नपती में अन्तर आ रहा है।

(2) यह है कि साबिक नक्शे अनुसार हाल नक्शे मे तरमीम हो जाने पर प्रार्थी व उसके सहखातेदारों को कोई नुकसान नही होगा और मौके पर स्थिति स्पष्ट हो जायेगी चूंकि वर्तमान नक्शे मे साबिक नक्शे के मुकाबले रकबा कम बैठ रहा है।

(3) यह है कि प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र धारा 136 एल० आर० एक्ट नक्शा तरमीम के आदेश के द्वारा हाल नक्शे मे तरमीम साबिक अनुसार किया जाना न्यायोचित व न्याय हित मे है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र स्वीकार

—— लगातार ——

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी भूपालसागर, जिला-चित्तौड़गढ़

23.3.21
सहायक कलेक्टर एवं खण्ड अधिकारी, भूपालसागर
जिला-चित्तौड़गढ़ (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2021.03.24 11:25:56 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

कर तहसीलदार भूपालसागर को आदेशित करे कि प्रार्थी के खातेदारी आराजियात के हाल रकबे अनुसार साबिक नक्शे अनुसार हाल नक्शे में तरमीम किये जाने हेतु निवेदन किया है।

प्रार्थना-पत्र दर्ज रजिस्टर कर तहसीलदार भूपालसागर को सम्मन जारी किया गया। तहसीलदार भूपालसागर द्वारा जवाब प्रार्थना-पत्र पेश किया गया जिसमें बताया गया है कि प्रकरण में वादीगण द्वारा यह स्पष्ट नहीं किया है कि किस आराजियात से नक्शे में रकबा कम कर खातेदारान के वादग्रस्त आराजियात के साथ संलग्न किया जाना है तथा वादी की वादग्रस्त आराजियात के साथ संलग्न आराजियात के खातेदारान को प्रतिवादी भी नहीं बनाया है। प्रकरण में प्रभावित खातेदारान को पक्षकार बनाया जाना आवश्यक था, जो नहीं किया है। वादीगण के कब्जे अनुसार हाल आ०न० 5008 का नक्शा सही है।

हमने तहसीलदार भूपालसागर के जवाब प्रार्थना-पत्र एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया तथा प्रार्थी वकील व पैरोकार सरकार की बहस सुनी गयी। वकील प्रार्थी व पैरोकार सरकार की बहस एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र अंतर्गत धारा 136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 का स्वीकार योग्य नहीं होने के कारण खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 23.03.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी भूपालसागर, जिला-चित्तौड़गढ़

23.3.21

(सुखाराम पिण्डेल)

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर
जिला-चित्तौड़गढ़ (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2021.03.24 11:25:56 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner